



व्यापम परीक्षा निर्देश

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वनरक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा (FDFG24)

1.	व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा जिला चयन की प्रारंभिक तिथि	-	23.08.2024 (शुक्रवार)
2.	व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा जिला चयन की अंतिम तिथि	-	08.09.2024 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3.	व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	-	16.09.2024 (सोमवार)
4.	परीक्षा की तिथि (संभावित)	-	22 सितंबर 2024 (रविवार)
5.	परीक्षा का समय :	-	पूर्वाह्न 10:00 से 12:15 बजे तक
6.	परीक्षा केन्द्र :	-	बिलासपुर एवं रायपुर

महत्वपूर्ण टीप -

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

- वनरक्षक के पद हेतु संबंधित विभाग द्वारा पात्र 2934 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छ.ग. व्यापम वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करवाना होगा तथा परीक्षा जिला (बिलासपुर या रायपुर) का चयन करना अनिवार्य होगा। व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा जिला के चयन के आधार पर ही व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।
- जिस आवेदनकर्ता का व्यापम में प्रोफाइल पूर्व में निर्मित नहीं है उन्हें प्रोफाइल निर्मित करना आवश्यक होगा तदुपरांत ही वनरक्षक के रिक्त पद हेतु जिला चयन करने की सुविधा प्राप्त होगी।
- जिस पात्र आवेदनकर्ता द्वारा छ.ग. व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं किया जायेगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा विभाग की वेबसाइट पर पूर्व में जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाइट पर परीक्षा जिले का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक **सबमिट** करना अनिवार्य है।

2. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय तथा चयन प्रक्रिया के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

3. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।

4. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

उक्त परीक्षा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लेवें।

5. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा।

नोट— अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

6. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :-

- 6.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड संलग्न है। परीक्षार्थी एक बार कोड को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें।
- 6.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा। दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

7. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज कराने हेतु अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रु. 50/- शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन के माध्यम से) करना होगा। निर्धारित शुल्क भुगतान के बिना दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। यदि किसी प्रश्न के मॉडल उत्तर पर की गई दावा- आपत्ति मान्य होती है एवं उसमें संशोधन होता है तो उस प्रश्न पर दावा-आपत्ति करने वाले सभी दावाकर्ताओं से लिया गया शुल्क व्यापम द्वारा वापस किया जायेगा। यदि दावा-आपत्ति अमान्य होती है तो दावाकर्ताओं से लिया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल

पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। **व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।**

8. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. कोई भी विकल्प सही न हो,
3. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
4. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में -

ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।

प्रश्नों के निरस्त होने पर दिये जाने वाले अनुपातिक अंक -

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए :-

100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक आबंटित है एवं प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। प्रत्येक गलत उत्तर पर आबंटित अंक का 1/4 अंक काटा जाना है। कुल प्रश्नों में से 04 प्रश्न विलोपित किये जाते हैं। अभ्यर्थी 96 प्रश्नों में से 62 प्रश्नों का सही उत्तर एवं 20 प्रश्नों का गलत उत्तर तथा 14 प्रश्नों पर उत्तर अंकित नहीं करता है। ऐसी अवस्था में उसके कुल अंतिम प्राप्तांकों की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

$$\begin{aligned} \text{अंतरिम प्राप्तांक} &= \text{सही उत्तरों पर प्राप्त अंक} - \text{गलत उत्तरों पर काटे गए अंक} \\ \text{(विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष} & \\ \text{प्रश्नों के आधार पर प्राप्तांक)} & \\ \text{अंतरिम प्राप्तांक} &= 62 - \frac{20}{4} \\ &= 62 - 5 \\ \text{अंतरिम प्राप्तांक} &= 57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\text{अंतिम प्राप्तांक} &= & \frac{\text{अंतरिम प्राप्तांक} \times \text{पूर्णांक}}{\text{विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों पर आबटित अंक}} \\
&(\text{विलोपित प्रश्नों पर प्राप्त बोनस अंक सहित प्राप्त अंक}) & & \\
& &= & \frac{57 \times 100}{96} \\
&\text{अंतिम प्राप्तांक} &= & 59.375
\end{aligned}$$

अनुपातिक अंक उन अभ्यर्थियों को दिया जायेगा, जिनका प्राप्तांक शून्य से ज्यादा हो ।

9. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर कुल प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in एवं <https://vyapamaar.cgstate.gov.in/> पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

10. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

11. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

12. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752-246430
2	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर